

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

200/24 विरथाराम बनाम देवाराम

नम्बर व त
अहकाम व
हुक्म की त
में जारी

01-26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को आदेश-22

नियम-04 CPC पेश करने हेतु कई अवसर

दिए गए। परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा

प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी
व स्वयं प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को
लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा आदेशिका दिनांक 16.07.25

की पालना में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र

अदम पालना में इसी स्तर पर स्वीरिज

किया जाता है। आदेश-09, नियम-05

स्पष्टित धारा 151 CPC के तहत निर्णित

किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल

दफतर हो व नंबर से कम हो।

उप खंड अधिकारी
बाडमेर